LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY, UTTAR PRADESH

VIPIN KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

PERMIT TO BUILD WITHIN THE DEVELOPMENT AUTHORITY, AREA LUCKNOW

PRINT DATE :- 24/08/2020

FILE No : 123/A.A/M.CELL/2019

WARD :

SCHEME :

PERMIT NO : MAP 20191210153800810

PROPERTY NO: Plot Local Shopping, Mutakkipur Alinagar Diguriya, IIM Road, Regalia, LKO.

SITE OF COMMERCIAL

NAME : M/S ELDECO HOUSING & INDUSTRIES LTD.

ADDRESS : IInd Floor Corporate chamber-I, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lko.

Sanction vide order dated 24/07/2020 of prescribed Authority permission to build granted as per sanctioned building plan enclosed Subject the conditions mentioned on it and if noted below.

Date of Validity : 23/07/2025 or Restriction If Required :

Signature of Competent Authority (BHAWAN)
Under the U.P.

: प्रतिबंध :

1. निर्माण पूर्ण करने के पश्चात प्राधिकरण से सम्पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तत्पश्चात ही भवन के उपयोग आदि की अनुमति हेतु कार्यवाही की जायेगी।
2. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था शासनादेश के अनुसार करना होगा।
3. अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
4. भवन उपविधि के अनुसार लैण्ड स्कैपिंग एवं आवश्यक वृक्ष लगाने होंगे।
5. भूखण्ड प्राधिकरण के पक्ष में बंधक है, मानचित्र स्वीकृति केवल निर्माण हेतु दी जा रही है, सम्पत्ति क्रय–विक्रय भूखण्ड बंधक से अवमुक्त होने के उपरान्त ही की जायेगी।
6. भूस्वामित्व, चौहद्दी तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बंध में प्राधिकरण का उत्तरदायित्व नही होगा।
7. नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अन्तर्गत ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है एवं भूकम्परोधी प्रमाण पत्र, ड्राइंग एवं डिजाइन मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
8. यदि भविष्य में कोई देनदारी निकलती है, तो मांगे जाने पर अविलम्ब प्राधिकरण खाते में जमा करना होगा।
9. यह स्वीकृति मात्र व्यवसायिक निर्माण हेतु मान्य है, अन्यथा निर्माण/उपयोग करने पर प्रदान की गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
10. स्थल पर पक्ष को इस आशय का एक सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित हों।
11. निर्माण अवधि में नेशनल सेफ्टी काउंसिल एवं लेबर एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा।
12. स्मॉग की समस्या के दृष्टिगत निर्माण स्थल के चारों तरफ ग्रीन जाली लगायी जाये व निर्माण सामग्रियों के पास या तो जल छिड़काव की व्यवस्था की जाये या उन्हें त्रिपाल आदि से ढक कर रखा जायें
13. भू–स्वामी यह सुनिश्चित करेगा कि स्थल पर किसी प्रकार के गड्ढे न हों तथा उसमें जल भराव न हो, यदि ऐसा पाया जाता है, तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
14. यदि भूखण्ड के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15(9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

    उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

15- बन्धक भूखण्ड पर मानचित्र स्वीकृत होने पर भी पूर्व की बन्धक शर्तें यथावत् रहेंगी।